

10

आदेश

उ०प्र० पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली-2015 में स्थाईकरण हेतु निहित प्राविधानों के अनुसार उ०प्र० पुलिस रेडियो शाखा में सहायक परिचालक पद पर नियुक्ति निम्नलिखित कर्मियों के स्थाईकरण पर विचार किया गया। विचारोपरान्त निम्न सारणी के क्रमांक-01 से 02 तक पर अंकित कर्मियों की सेवायें सतोषजनक न पाये जाने के कारण इन्हे सहायक परिचालक पद पर स्थाईकरण/धारणाधिकार हेतु अनुपयुक्त किया जाता है तथा क्रमांक-03 से 04 तक पर अंकित कर्मियों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के कारण सहायक परिचालक पद पर इनके स्थाईकरण/धारणाधिकार को मा० न्यायालय के पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन स्थगित रखा जाता है।

क्र	पीएनओ	वै०सं०	नाम	नियुक्ति	कारण
1	3	4	5	6	7
1	061029558	5961	SHASHI KANT YADAV	MZR	सेवाभिलेख सतोषजनक न होने के कारण
2	975010439	1507	RAVENDRA SINGH	AYA	मु०अ०सं० 37/96 धारा 147/323/504/332/ 333 भादवि थाना-बारा, इलाहाबाद(प्रयागराज) में पंजीकृत/विचाराधीन मा० न्यायालय।
3	061021772	5824	ASHISH SINGH	KND	मु०अ०सं० 440/07 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना महानगर, लखनऊ में मा० न्यायालय के आदेश दि० 20.01.21 के अनुपालन में इस मुख्यालय के आदेश दि० 07.06.21 द्वारा सेवा से पदच्युत किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध योजित स्पेशल अपील संख्या-136 /2021 में मा० न्यायालय के पारित निर्णय दि० 05.07.2021 के अनुपालन में इन्हे पुनः सेवा में लिया गया है। उक्त के अतिरिक्त वाद संख्या-69/09 मा० न्यायालय, एसीजीएम, द्वितीय, लखनऊ के न्यायालय में विचाराधीन है।

संख्या: सी-197/2014
दिनांक: जून 29, 2022

(सुनील कुमार शुक्ल)
राज्य रेडियो अधिकारी(प्रशासन)
उ०प्र० पुलिस रेडियो मुख्यालय,
महानगर, लखनऊ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. रेडियो निरीक्षक, MZR/AYA/KND।
2. रेडियो निरीक्षक, कर्मिक, उ०प्र० पुलिस रेडियो मुख्यालय, लखनऊ।
3. रेडियो निरीक्षक, प्रतिसार को हि०आ०पु० में अंकन हेतु।
प्रभारी, सर्वर सेल, उ०प्र० पुलिस रेडियो मुख्यालय, लखनऊ।